

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2024/83

जबलपुर, दिनांक: 05/03/2024

अधिसूचना

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक/अका./2024/78 दिनांक 28/02/2024 की अनुवृत्ति में अधिसूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अपने यहाँ संचालित समस्त पाठ्यक्रमों/विषयों/शोध केन्द्र की वार्षिक सम्बद्धता/निरंतरता सत्र 2024-25 की शुल्क जमा करने के संबंध में जमा करने की तिथि निम्नानुसार की जाती है, यथा :-

1.	प्रथम किश्त जमा करने की अंतिम तिथि (50 प्रतिशत मूलराशि)	11/03/2024
2.	द्वितीय किश्त जमा करने की अंतिम तिथि (50 प्रतिशत शेष राशि)	20/03/2024

नोट:-

1. शुल्क एम.पी. ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से ही जमा की जायेगी। आरटीजीएस से जमा राशि को एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कराना अनिवार्य है।
2. यदि महाविद्यालय चाहे तो सम्पूर्ण राशि प्रथम किश्त में भी जमा कर सकते हैं।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ० क्रमांक/अका./2024/83 'अ'

जबलपुर, दिनांक: 05/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर।
3. राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय से सम्बन्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं संचालक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
8. प्रभारी ऑनलाईन सेल, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. कुलपति जी/कुलसचिव जी के सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर